

असाधारण

EXTRAORDINARY प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 154] No. 154] दिल्ली, सोमवार, अक्तूबर, 5, 2009/आञ्चिन 13, 1931 DELHI, MONDAY, OCTOBER 5, 2009/ASVINA 13, 1931

[रा.रा.स.क्षे.दि. सं. 187 [N.C.T.D. No. 187

भाग-IV

PART-IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

पर्यावरण वन एवं वन्यजीव विभाग

आदेश

दिल्ली, 5 अक्तूबर, 2009

सं. एफ 1/सीएफ/एफसीए/07-08/पार्ट-II/3517-3540.—जबिक पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार ने राज्य प्रतिपूर्ति वृक्षारोपण निधि प्रबन्धन एवं नियोजन प्राधिकरण (राज्य सी ए एम पी ए) पर 2 जुलाई, 2009 को दिशानिर्देश जारी किए थे तथा सी ए एवं एन पी वी के अंतर्गत निधि जो इस समय तदर्थ सी ए एम पी ए के पास उपलब्ध है, का उपयोग करते हुए वन एवं वृक्षों के क्षेत्र में वृद्धि हेतु निधि वद्ध व्यवस्था को प्रारंभ किया था:

जबिक, उपरोक्त दिशानिर्देशों को रिट याचिका (सिविल), 1995 का 202 में आई. ए. सं. 2143 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सामने प्रस्तुत किए गए थे और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उक्त दिशानिर्देशों के क्रियान्वयन हेतु केन्द्रीय अधिकरण प्राप्त सिमिति (सी इ सी) की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया था;

और जबिक उपरोक्त दिशानिर्देशों में राज्य प्रतिपूर्ति वृक्षारोपण निधि प्रबन्धन एवं नियोजन प्राधिकरण की राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में स्थापना करने का प्रावधान है और उसमें विनिर्दिष्ट उद्देश्यों के लिए शासी निकाय, संचालन समिति तथा कार्यकारी समिति बनाई जाएगी;

इसलिए, अब, राज्य सी ए एम पी ए पर उपरोक्त दिशानिर्देशों के अनुरूप राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल दिल्ली में शासी निकाय संचालन समिति तथा कार्यकारी समिति की स्थापना करते हैं। जिसमें निम्न प्रकार से शासी निकाय, संचालन समिति तथा कार्यकारी समिति होगी, अर्थात् :—

क. दिल्ली राज्य प्रतिपूर्ति वृक्षारोपण निधि प्रबन्धन एवं नियोजन प्राधिकरण की शासी निकाय :

1. मुख्यमंत्री

-अध्यक्ष

2. वनमंत्री

-उपाध्यक्ष

DELHI GAZETTE: EXTRAORDINARY

PART IV

3. वित्त मंत्री	–सदस्य
4. योजना मंत्री	–सदस्य
5. मुख्य सचिव	–सदस्य
6. प्रधान सचिव (वित्त)	–सदस्य
7. प्रधान सचिव (योजना)	–सदस्य
8. वन संरक्षक	–सदस्य
9. मुख्य वन्यजीव वार्डन	–सदस्य, और
10. सचिव (पर्यावरण एवं वन)	–सदस्य-सचिव
ख. दिल्ली रारज्य प्रतिपूर्ति वृक्षारोपण निधि प्रबन्धन एवं नियोजन प्राधिकरण की संचालन समिति :	***************************************
1. मुख्य सचिव	-सदस्य
2. प्रधान सचिव (वित्त)	–सदस्य
3. प्रधान सचिव (योजना)	–सदस्य
4. सचिव (पर्यावरण एवं वन)	–सदस्य
5. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का एक प्रतिनिधि	–सदस्य
 प्रो. सी आर बाबू, एवं निदेशक सी इ एम डी इ, दिल्ली विश्वविद्यालय, पर्यावरणीय विज्ञान 	–सदस्य, और
7. वन संरक्षक, सी डब्ल्यू एल डब्ल्यू तथा नोडल अधिकारी (एफ सी ए)	–सदस्य-सचिव
ग. दिल्ली राज्य प्रतिपूर्ति वृक्षारोपण निधि प्रबन्धन एवं नियोजन प्राधिकरण की कार्यकारी सिमिति :	
 वन संरक्षक एवं सी डब्ल्यू एल डब्ल्यू प्रो. सी आर बाबू एवं निदेशक सी इ एम डी इ दिल्ली विश्वविद्यालय, पर्यावरणीय विज्ञान 	–अध्यक्ष –सदस्य
3. संबंधित वन डिवीजन का उप वन संरक्षक	 सदस्य :
4. लेखाधिकारी कार्यालय वन संरक्षक	–सदस्य
5. उप वन संरक्षक (मुख्यालय)	–सदस्य-सचिव

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर,

धर्मेन्द्र, सचिव

DEPARTMENT OF ENVIRONMENT, FORESTS AND WILDLIFE ORDER

Delhi, the 5th October, 2009

No. F. 1/CF/FCA/07-08/Part-II/3517-3540.—Whereas, the Ministry of Environment and Forests, Government of India has issued the Guidelines on the 2nd July, 2009 on State Compensatory Afforestation Fund Management and Plaining Authority (State CAMPA) and putting in place the funding mechanism for enhancing forest and tree cover by utilizing the funds under CA and NPV currently available with ad-hoc CAMPA;

Whereas, the aforesaid Guidelines were placed before the Hon'ble Supreme Court in IA No. 2143 in Writ Petition (Civil) 202 of 1995 and Hon'ble Supreme Court accepted the recommendations of the Central Empowered Committee (CEC) for implementation of the said Guidelines;

And, whereas, aforesaid Guidelines provides for the establishment of Satate Compensatory Afforestation Fund Management and Planning Authority (State CAMPA), in the States and Union Territories consisting of a Governing Body, a Steering Committee and Executive Committee for the purposes specified therein;

Now, therefore, in pursuance of the aforesaid Guidelines on the State CAMPA, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, establishes the Delhi Compensatory Afforestation Fund Management and Planning Authority having the Governing Body Steering Committee and Executive Committee as following namely:—

A. Governing Body of the Delhi CAMPA:

1.	Chief Minister	Chairperson
2.	Minister of Forests	Vice-Chairperson
. 3.	Minister of Finance	— Member
4.	Minister of Planning	- Member
5.	Chief Secretary	-Member
6.	Pr. Secretary (Finance)	—Member
7.	Pr. Secretary (Planning)	Member
8.	Conservator of Forests	-Member
9.	Chief Wildlife Warden	-Member, and
10.	Secretary (E & F)	-Member-Secretary

B. Steering Committee of the Delhi CAMPA:

1.	Chief Secretary	Member
2	Pr. Secretary (Finance)	Member
3.	Pr. Secretary (Planning)	— Member
4.	Secretary (E & F)	Member
5.	A representative of the Ministry of Environment and Forests	Member
6.	Prof. C.R. Babu, and Director, CEMDE, Delhi University School of	
	Environmental Sciences	-Member, and
7.	Conservator of Forests, CWLW and Nodal Officer (FCA)	Member-Secretary

C. Execu

1.	Conservator of Porests, CWLW and Nodar Officer (PCA)	Member-Secretary
utiv	e Committee of the Delhi CAMPA:	
1.	Conservator of Forests and CWLW	—Chairperson
2.	Prof. C.R. Babu and Director, CEMDE, Delhi, University School of Environmental Sciences	Member
3.	Dy. Conservator of Forests of concerned Forest Division	—Member
4.	Accounts Officer in the O/o the Conservator of Forests	—Member
5.	Dy. Conservator of Forests (HQ)	Member-Secretary
	By Order and	d in the Name of the Lt. Governor of

National Capital Territory of Delhi,

DHARMENDRA, Secy.